



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013694/FNOC/COL/2024/7818
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Mar-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : NARMADA VALLEY ACADEMY PROMOTER NAME: VIJAY
आवेदक का पता / Applicant Address : AGRAWAL SHIKSHA SWASTH EVAM SAMAJIK VIKAS SAMITI
VIJAY AGRAWAL NARMADA VALLEY ACADEMY VYAS COLONY
SEONI MALWA NAGAR PALIKA 461223
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 6 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8093 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : NARMADA VALLEY ACADEMY VYAS COLONY SEONI MALWA
NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100013694 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग
क्र./फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट /सं.सं./2024/137 भोपाल, दिनांक 11.03.2024

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

आवेदन क्रं. : 6100013694
आवेदन की तिथि : 04.03.2024
आवेदक का नाम : नर्मदावेली एकेडमी,
आवेदक का पता : व्यास कॉलोनी, नगर पालिका सिवनी-मालवा, जिला-नर्मदापुरम
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार : फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
अधिभोग का प्रकार : शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई : 06 मीटर
भवन का क्षेत्रफल : प्लॉट एरिया 7988.63 वर्ग मीटर
भवन क्षेत्रफल 4275.42 वर्ग मीटर

2
SEONI-MALWA



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013694/FNOC/COL/2024/7818

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : NARMADA VALLEY ACADEMY PROMOTER NAME: VIJAY
AGRAWAL SHIKSHA SWASTH EVAM SAMAJIK VIKAS SAMITI

(1) प्रकरण में समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा सन्यंत्रों का परीक्षण एवं रनिंग ऑपरेशन कराया गया। आवेदक फर्म द्वारा मौके पर स्थापित विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपाए के छायाचित्र संलग्न हैं। तदनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का प्रस्तावित फायर प्लान अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा।

शर्त:-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down corner
- 4- House Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G. Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tank.
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- 15- P.A System with talk back facility
- 16- Emergency Light.
- 17- Auto D.G Set
- 18- Illuminated Exit Sing
- 19- Means of Escape.
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Firmen Switch in lift
- 23- Hose Boxes With Dilivery Hose And Branch
- 24- Refuge Area.

(उपरोक्त मे से यथा निर्देशित)



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013694/FNOC/COL/2024/7818
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Mar-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : NARMADA VALLEY ACADEMY PROMOTER NAME: VIJAY
AGRAWAL SHIKSHA SWASTH EVAM SAMAJIK VIKAS SAMITI

- 2) आवेदक को संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग का पत्र क्रमांक 6100012084/FNOC/COL/2023/6840 DATE 18.09.2023 से जारी अस्थाई फायर प्लान प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तें, निम्न शर्तों के अतिरिक्त बंधनकारी रहेंगी।
- 3) आवेदक द्वारा परिसंचरण मार्ग/(एम.ओ.एस.) पर किसी भी प्रकार का निर्माण / मार्ग अवरूद्ध किया जाने की स्थिति में जारी किया गया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 4) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय किया गया फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5) आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा भवन मालिक के फायर कंसल्टेंट एवं स्वयं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौके पर स्थापित फायर उपकरण चलित अवस्था में पाये गए हैं। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04 के प्रावधानों के अनुसार पाये गए हैं।
- 6) आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रखरखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7) आवेदक को जारी किए जा रहे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और उक्त अवधि समाप्त होने के "दो माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8) फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 9) इस कार्यालय द्वारा जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पूर्व में जारी फायर प्लान प्रमाण पत्र क्रमांक 6100012084/FNOC/COL/2023/6840 DATE 18.09.2023 का भाग है।
- 10) भूमि विकास नियम-2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 में अग्नि सुरक्षा के लिये शैक्षणिक भवन हेतु उल्लेखित प्रावधान/ नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11) निर्मित भवन में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त डिग्रीधारी फायर आफिसर नियुक्त करने के साथ-साथ अन्य नियुक्त कर्मियों के अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

[Handwritten Signature]
Narmada Valley Academy
SEONI-MALWA

[Handwritten Signature]
Manager
Narmada Valley Academy
Seoni Malwa



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013694/FNOC/COL/2024/7818

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : NARMADA VALLEY ACADEMY PROMOTER NAME: VIJAY
AGRAWAL SHIKSHA SWASTH EVAM SAMAJIK VIKAS SAMITI

12) कार्यालय द्वारा जारी किए गए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट में वर्णित शर्तों/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में फायर सुरक्षा प्रमाण -पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

13) आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण आधार पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व/दस्तावेज के सम्बंध में शासकीय/अशासकीय विवाद की स्थिति में जारी किया गया अनुमोदन निरस्त माना जावेगा।

**SURESH
KUMAR
BELIYA**

Digitally signed by
SURESH KUMAR
BELIYA
Date: 2024.03.11
14:30:14 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh